

97

सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा ।  
न्यायालय श्रीमान् ~~मन्मथ प्रसाद~~ जिला रीवा म.प्र. ।



रामबहादुर कुषवाहा तनय स्व. श्री रामस्वस कुषवाहा निवासी ग्राम -  
पैपखार तहसील मन्गवाँ जिला रीवा म.प्र.

----- निगरानी कर्ता ।

जाम

- 1- रामप्रताप कुषवाहा तनय स्व. श्री वासुदेव कुषवाहा
- 2- बेबा मधुरा ~~पत्नी स्व~~ श्री मधुरा प्रसाद कुषवाहा ✓
- 3- मोहनलाल            § सभी के पिता स्व श्री मधुरा प्रसाद कुषवाहा
- 4- अंजनी कुमार
- 5- अमृतलाल            §
- 6- छोटकवा कुषवाहा §
- 7- रामसिया कुषवाहा तनय श्री वेसाहू
- 8- शिव प्रसाद कुषवाहा तनय श्री रामस्वस

----- सभी निवासी ग्राम पैपखार तहसील मन्गवाँ जिला  
रीवा म.प्र.                                       ----- गैर निगरानी कर्ता गण ।

अधिवक्ता श्री भास्कर  
सिंह द्वारा प्रस्तुत/  
रीवा दि. 4.7.2012

*Handwritten signature*  
4.7.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता  
1959 ई. बावजू कि ए गए गलत नक्शा तस्मीम के  
सम्बन्ध में ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

- 1- यहाँक आराजी खत नं. 981/7 रकवा 0-364 हे. व आराजी -  
नं. 999/8 रकवा 0-344 हे. स्थित ग्राम महुआ तहसील मन्गवाँ जिला रीवा

*Handwritten signature*  
25-7-12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. १५०५- १११२

जिला-शिवी

पक्षकार का नाम रामवहादुर कुशावत / राम प्रताप कुशावत

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	